



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 अक्टूबर, 2016
आश्विन 27, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994
लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2016

सा०प०नि०-78

अधिसूचना प्रकीर्ण

संयुक्त प्रान्तीय आर्डर कान्सेटबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, 2016

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम
नियमावली, 2016 कही जायेगी । और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियम-5 का
नियमावली कहा गया है, में, नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर संशोधन
स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

कर्मशाला कर्मचारी:-

(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

कर्मशाला कर्मचारी:-

(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर

स्तम्भ-1विद्यमान खण्ड

बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस / इन्फारमेशन टेक्नोलोजी / रेडियो एवं टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/ रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट / मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स / कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1विद्यमान खण्ड

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक):-

(एक) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-2एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस / इन्फारमेशन टेक्नोलोजी / रेडियो एवं टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट / मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-2एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक):-

(एक) 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी:-सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के मृत कार्मिकों के ऐसे आश्रित जो प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर मृतक श्रेणी के आश्रित के रूप में आवेदन करते हैं उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार के माध्यम से विनिश्चित की गयी नीति के अनुसार की जायेगी। निर्वन्धन यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष होने वाली रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(दो) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(दो) 50 प्रतिशत रिक्त पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी :- प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाय। इसके पश्चात रिक्तियां सम्बन्धित श्रेणी में भरी जाएंगी।

3- उक्त नियमावली में नियम-8 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम-8 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

8- शैक्षिक अर्हता:-

(क) कर्मशाला कर्मचारी

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई0टी0आई0 से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/रेडियो एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

8- शैक्षिक अर्हता:-

(क) कर्मशाला कर्मचारी

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/रेडियो एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

नियम-14 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

14- रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :-

- (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;
- (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;
- (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके; और
- (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

नियम-15 का संशोधन

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

15-क-आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

14- रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की रिक्तियों की अलग-अलग संख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे जो इसे बोर्ड एवं सरकार को भी प्रेषित करेंगा। तत्पश्चात पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक रिक्तियां, बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों एवं जन संचार के अन्य माध्यमों से अधिसूचित की जायेंगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

15-क-आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र

कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझे उपलब्ध करायी जायेगी।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, अभ्यर्थी अपनी यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

ख. बुलावा पत्र

अभ्यर्थियों के लिये बुलावा-पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड कर पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सरकार, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी प्रक्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जायें, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा:-

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. विज्ञान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड इस परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर से विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित हैं :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

ग-अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाते हैं उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यह परीक्षण परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाएगा। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

घ. शारीरिक दक्षता परीक्षा-

खण्ड "ग" के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है।

ड. लिखित परीक्षा-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी:-

विषय	अधिकतम अंक
1-सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2-विज्ञान / सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा /तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पणी:-परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणी:-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के किसी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

इस परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

च-चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-

खण्ड (ड.) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा:-

(1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता(उपर्युक्त नियम-9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

छ. चिकित्सा परीक्षण

खण्ड (व) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये स्थान पर किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट-4 के अनुसार संचालित होगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हों परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा-

खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किमी० की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी० की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ड.) चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, बोर्ड आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, रिक्तियों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के

स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगा जो अनुमोदनोपरान्त इसे अग्रतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में दी गयी प्रक्रियानुसार विनिश्चित की जायेगी:-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किया है तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) फिर भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(3) यदि उपरिलिखित एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

(च) चिकित्सा परीक्षण

ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हैं, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक होंगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से यथाविहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्ररूप" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा एवं स्वयं के परिणाम की घोषणा के दिनांक को अपील दाखिल नहीं करता है। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से सम्बन्धित विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा संचालित करने हेतु विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए अग्रणीत किया जाएगा।

6- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- नियम-16 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

चरित्र सत्यापन

16-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

चरित्र सत्यापन

16-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने से पूर्व, चरित्र सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

7- उक्त नियमावली में नियम-17 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- नियम-17 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

17-1-पदोन्नति हेतु प्रक्रिया

(क) कर्मशाला कर्मचारी:-

कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

17-1-पदोन्नति हेतु प्रक्रिया

(क) कर्मशाला कर्मचारी:-

कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रानिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन/

स्तम्भ-1**विद्यमान उप नियम**

टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी/ रेडियो एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/ रेफीजरेशन/ मैकेनिक इन्सट्रुमेंट/ मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालक:

सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों से भरे जायेंगे जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी:- पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के यथासम्भव पाँच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक यॉत्रिक:-

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों से भरे जायेंगे जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**

इलेक्ट्रिकल /कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी/ रेडियो एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रुमेंट/ मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालक:

सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी:- पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को ज्येष्ठता क्रम में सहायक परिचालक हेतु आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक आगामी रिक्ति के लिए यथासम्भव पाँच कर्मशाला कर्मचारी इस पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक यॉत्रिक:-

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के 50 प्रतिशत रिक्तियों को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

टिप्पणी:- प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाय। इसके पश्चात रिक्तियां सम्बन्धित श्रेणी में भरी जाएंगी।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक, यॉत्रिक से भरे जाने की व्यवस्था की गयी है जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ङ) रेडियो निरीक्षक:-

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियो अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक, यॉत्रिक में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ङ) रेडियो निरीक्षक:-

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षकों में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

8-उक्त नियमावली में, नीचे उल्लिखित विद्यमान परिशिष्ट-1, 2, 3, एवं 4 को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1, 2,
3, एवं 4 का
निकाला जाना

परिशिष्ट-1

(नियम-15 ग देखें)

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण**अभिलेखों की संवीक्षा**

1-अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर अध्यक्ष होगा।

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

(2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

(3) अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणी:-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

3-प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

4-शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

5-कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनः अवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट-2

(नियम-15 घ देखें)

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

1-शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2-शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

3-दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4-दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्क्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ:) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(ज) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(झ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से

विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी:—समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मान किये जाने पर या किसी जॉब अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट-3

(नियम-15 (ड) देखें)

सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया

(1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब)/सहायक को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन / लैण्डलाइन / मोबाईल फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी विज्ञप्ति जारी करने के समय दी जायेगी।

(3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

(6) परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

(7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

(8) सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेंगी। तथापि एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।

(9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी।

(10) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है।

(11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।

(12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

(13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट-4

(नियम-15 (छ) देखें)

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

(1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबन्धित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी:—चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा—नाक—नी, बी—लेग्स, फ्लैट—फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), तथा रीनेज परीक्षण, वेबर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।

आज्ञा से,
देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18/2016/2792/VI-Pu-1-16-1300(7)-1994, dated October 19, 2016 for general information:

No. 18/2016/2792/VI-Pu-1-16-1300(7)-1994
Dated Lucknow, October 19, 2016

IN exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act no. 40 of 1948) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE, (SECOND AMENDMENT) RULES, 2016

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2016. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their Publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 for clause (a) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:- Amendment of rule 5

COLUMN-I

Existing clause

(a) Workshop Hand -

(ii) 25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination and passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/ Electrical/ Computer Science/ Information Technology/Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/ Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

(a) Workshop Hand -

(ii) 25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination or passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/ Electrical/ Computer Science /Information Technology/ Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/ Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

For clause (c) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I*Existing clause***(c) Head Operator/Head Operator (Mechanics)**

(i) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by direct recruitment by the board.

(ii) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by direct recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training Course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-II*Clause as hereby substituted***(c) Head Operator/Head Operator (Mechanics)**

(i) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by direct recruitment by the board.

Note:-Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Head Operator/Head Operator (Mechanic) in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Head Operator/Head Operator (Mechanic).

(ii) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training Course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Note:- Out of the total sanctioned posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic), 50 percent of the vacant posts shall be filled by direct recruitment and remaining 50 percent of vacant posts shall be filled by promotion:

Provided that the above process shall be continued, until the total number of post filled by direct recruitment shall become 50 percent of the total sanctioned post. Thereafter the vacancies shall be filled in their respective categories.

3. In the said rules, in rule 8 for clause (a) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of
rule 8

COLUMN-I

Existing clause

8-Academic Qualifications

(a) Workshop Hand -

Candidate should have passed Intermediate examination by a Board established by law in India or have passed an equivalent examination recognized by Government and have passed certificate examination course in Electronics/ Telecommunication/ Electrical/ Computer Science /Information Technology/Radio and Television/ Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

8-Academic Qualifications

(a) Workshop Hand -

Candidate should have passed High School examination by a Board established by law in India or have passed an equivalent examination recognized by Government or should have passed certificate examination course in Electronics/ Telecommunication/ Electrical/ Computer Science/ Information Technology/ Radio and Television/ Electric Supply and Manufacturing/Refrigeration/ Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

4. In the said rules, for existing rule 14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of
rule 14

COLUMN-I

Existing rule

Determination of vacancies

14-The appointing authority shall determine and intimate to the Head of Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the department shall also intimate the number of vacancies to the Board and the Government. The vacancies for direct recruitment shall be notified by the Head of the department in the following manner:-

- (i) By issuing advertisement in daily newspaper having maximum circulation ;
- (ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;
- (iii) By notifying vacancies to the Employment Exchange; and
- (iv) By any other means of public communication.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Determination of vacancies

14-The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of Department shall intimate the number of vacancies for both male and female candidates separately, to the Director General of Police, Uttar Pradesh, who will send it to the Board and also to the Government. Thereafter The Board shall notify the vacancies for both male and female candidates separately through newspapers and through other means of mass communication.

Amendment of
rule 15

5. In the said rules, for existing rule 15 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

Existing rule

Procedure for Direct Recruitment to the post of Work Shop Hand, Assistant Operator and Head Operator/Head Operator (Mechanic):-

15-(a) Application Form:-

(i) A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one forms, may be rejected by the Board.

(ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, written, medical examination etc., minimum qualifying marks for written examination subject wise and other important guidelines as determined by the Board from time to time shall be made available by the Board on its own website and or by other means as it deems necessary.

(iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for making application, the candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness, if the Form of any candidate is found incomplete, wrong or having inaccurate information, it may be cancelled and the decision of the Board in this regard shall be final.

(iv) An applicant shall certify himself his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.

(v) In the application form the detail of the identity, specific identity card number, thumb and finger impression, photographs or bio-metric details will be so included as may be determine by the Board from time to time.

(vi) The Head of the Department, in consultation with the Board, may fix an application fee for any recruitment.

(vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.

(viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Procedure for Direct Recruitment to the post of Work Shop Hand, Assistant Operator and Head Operator/ Head Operator (Mechanic):-

15-(a) Application Form and Call Letter:-

A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one forms, may be rejected by the Board. The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for any recruitment. Detailed procedure of filling the Application form and issuance of call letter shall be determined by Board and will be displayed on its own website.

The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

COLUMN-I

Existing rule

(b) Call Letters-

Call letter for candidates shall be uploaded by the Board on its website at least 7 days before the examination the applicant will download it and carry it for subsequent examinations.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

(b) Written Examination-

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of the following subjects:-

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2.Science/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test /I.Q.Test // Reasoning	100 marks (objective type)

Candidates failing to obtain 50% marks in each Subject shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shifts or on more than one dates in different shifts. Detailed procedure for written examination shall be determined by Board and will be displayed on its own website.

(c) Scrutiny of Documents and Physical Standards Test-

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for scrutiny of documents and Physical Standard Test. This test will be conducted as per Annexure-1. In case any document is found to be manipulated, inaccurate or forged during the scrutiny or at any time after the scrutiny, the candidature of the applicant will be cancelled at the discretion of the Board or the Appointing authority as the case may be.

(c) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

Candidates found successful in written examination as per clause (b) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) for General / Other Backward classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 168 centimetres .

(ii) for Scheduled Tribe male candidates minimum height should be 160 centimetres.

COLUMN-I
Existing rule

COLUMN-II
Rules as hereby substituted

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion; and for the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetres chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) for the candidate belonging to General/Other Backward Classes or Scheduled Castes minimum height should be 152 centimetres.

(ii) for a Scheduled Tribes candidate minimum height should be 147centimetres.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be the member. As per requirement the remaining members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police on the request of the Board.

Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

Such candidates as are not satisfied with the Physical Standard Test, may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of the nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

COLUMN-I

Existing rule

(d) Physical Efficiency Test-

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. As far as possible, the Board will try to conduct Physical Efficiency Test of candidates on the next day of their Scrutiny of Documents and physical standard Test. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in Appendix-2.

(e) Written Examination-

The candidates who are declared successful in the Physical Efficiency Test under clause (d) shall be required to appear in the written examination which shall carry 400 marks in the following subjects:-

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2. Science/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test / I.Q. Test / Reasoning	100 marks (objective type)

Note:-

The detailed syllabus for the examination will be notified by the Board. The procedure for the conducting the written examination shall be such as is prescribed in Appendix -3. Candidates, failing to obtain 50% marks in each Subject shall not be eligible for recruitment.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

(d) Physical Efficiency Test-

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. For qualifying in this physical efficiency test it shall be necessary for male candidates to complete 4.8 km. run in 28 minutes and for female candidates to complete 2.4 km. run in 16 minutes. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for recruitment. Detailed procedure for Physical Efficiency Test shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be the member. As per requirement the remaining members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police on the request of the Board.

(e) Selection and Final Merit List:-

From amongst the candidates found successful in Physical Efficiency Test under clause (d), on the basis of marks obtained by each candidate in written examination, under clause (b), the Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, as per order of merit keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the Director General of Police, Uttar Pradesh, who will after approval send it to the Head of Department for further action subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. The list of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order :-

(1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

COLUMN-I
Existing rule

(f) Selection and Final Merit List:-

From amongst the candidates found successful in written test, Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, on the basis of marks obtained by each candidate in written examination under clause (e), keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the Head of the Department subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order :-

(1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in Rule 9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

(2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.

(3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(g) Medical Test-

The candidates whose name are in the list sent as per clause (f), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted in the Police Line of the concerned District or at the place mentioned by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted as per Appendix-4. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing Authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

(2) Even then if two or more candidates are equal then candidate older in age shall be given preference.

(3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(f) Medical Test-

The candidates whose names are in the select list as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing Authority. For conducting the medical examination, the Chief Medical Officer of the concerned district shall constitute a Medical Board, which will consist of 3 Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Director General of Police in consultation with Director General of Medical Health. Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file the appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant. The detailed instructions for conducting Medical examination will be issued by the Director General of Police. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

6. In the said rules, for existing rule-16 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of rule-16

COLUMN-I

Existing rule

Character Verification

16-Prior to issuance of appointment letter completion of Character verification shall be performed under the supervision of the Appointing Authority before candidates are sent for training. Verification of character shall ordinarily be completed within a month. On adverse facts being brought to light in the character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for further selection.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Character Verification

16-Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

7. In the said rules, in rule 17 for sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of rule-17

COLUMN-I

Existing sub-rule

(a) Workshop Hand -

(ii) 25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination and passed certificate examination course in Electronics/ Telecommunication/ Electrical /Computer Science/ Information Technology/ Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing/ Refrigeration/ Mechanic Instrument/ Mechanic Electronics/ Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(a) Workshop Hand -

(ii) 25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination or passed certificate examination course in Electronics/Telecommunication/ Electrical/ Computer Science/ Information Technology/ Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing / Refrigeration / Mechanic Instrument/Mechanic Electronics /Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-I*Existing sub-rule***(b) Assistant Operator-**

(i) 10 percent of the total number of sanctioned posts of Assistant Operator shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have successfully obtained Basic Training course for Assistant Operator and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Note- For promotion purposes permission will be given to Workshop Hands to obtain Basic Training course for Assistant Operator on the basis of seniority and for every future vacancy to be filled by promotion as possible five Workshop Hands will be sent for this course.

(c) Head Operator /Head Operator (Mechanic)-

50 percent of the total number of sanctioned posts of Head Operator/Head Operator (Mechanic) shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have successfully passed Training Course for Head Operator/Head Operator (Mechanic) and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted***(b) Assistant Operator-**

10 percent of the total number of sanctioned posts of Assistant Operator shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have passed the Operator Training course Grade-III and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Note- For promotion purposes permission will be given to Workshop Hands to obtain Basic Training course for Assistant Operator on the basis of seniority and for every future vacancy to be filled by promotion as possible five Workshop Hands will be sent for this course.

(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-

50 percent vacancies of the posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic) shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Note:- Out of the total sanctioned posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic), 50 percent of the vacant posts shall be filled by direct recruitment and remaining 50 percent of vacant posts shall be filled by promotion:

Provided that the above process shall be continued, until the total number of post filled by direct recruitment shall become 50 percent of the total sanctioned post. Thereafter the vacancies shall be filled in their respective categories.

COLUMN-I

Existing sub-rule

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) who have passed Radio Sub-Inspector Course and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed Radio Maintenance Course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) who have passed the Operator Training course Grade-I and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed the Radio Sub Inspector or Radio Station Officer or Radio Maintenance Officer training course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

8. In the said rules, for existing appendices- 1, 2, 3 and 4 mentioned below, shall be omitted :-

Omission of
appendices-1,
2, 3 & 4

APPENDIX-1

[See rule 15(c)]

Scrutiny of Documents & Physical Standard Test

Scrutiny of the Documents.

1. Candidates will be summoned with relevant documents with regard to eligibility, relaxation, preferential qualifications, etc., for scrutiny thereof to be carried out by a committee which will consist of the following members :-

- (a) A deputy collector nominated by the District Magistrate of the District will be the Chairman;
- (b) A Deputy Superintendent of Police nominated by the Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the district
- (c) District Inspector of Schools (D.I.O.S) or Basic Siksha Adhikari (B.S.A.) or any other *Gazetted* officer of the education department nominated by the District Magistrate

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minority or any other category whose representation is necessary in the above team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of the Inspector in police department.

2. Original documents shall be checked as per the information provided in the application form.

3. During scrutiny of documents on being referred by any Team because of any doubt or on being brought directly in its notice, the Board may issue directions in this regard. Such directions issued by the Board, shall be final.

Physical Standard Test

The above mentioned committee may take help of any Government employee for conducting Physical Standard Test.

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) For General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste male candidates minimum height is 168 centimetres.

(ii) For Scheduled Tribes male candidates minimum height is 160 centimetres.

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General, Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and at least 84 centimeters with expansion; and for the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetres chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) For General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste female candidates minimum height is 152 centimetres.

(ii) For Scheduled Tribe female candidates minimum height is 147 centimetres.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg for female candidates.

3. The minimum physical standards for qualification for each test shall be displayed very prominently on Notice Boards in the venue of examination before conducting the examination.

4. Only standardized equipments having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures are to be used for physical standards test examination.

5. If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he can file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of above nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit and no further appeal will be entertained in this regard.

General Instructions

(1) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the Board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(2) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the examination on some other date. The committee, after considering his application, can decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates may give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(3) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever.

(4) The candidates will be informed about result of Scrutiny of Documents and Physical Standard Test on the same day:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of the Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of Freedom Fighter and Reservation for Ex-servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

APPENDIX-2

[See rule 15(d)]

Physical Efficiency Test for direct recruitment

1. The Physical Efficiency Test will be conducted by a team formed by the Board which shall have the following members -

- (i) Sub Divisional Magistrate nominated by District Magistrate of the District;
- (ii) Medical Officer nominated by Chief Medical Officer of the District concerned;
- (iii) Deputy Superintendent of Police nominated by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Caste/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minority or any other category whose representation is necessary in the said team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of Inspector in police department.

This team can take the help of any other expert for conducting the examination.

2. The physical efficiency test shall only be of qualifying nature and it will have no effect on the merit list. To become successful in physical efficiency test it shall be necessary to complete 4.8 km. run in 28 minutes for male candidates and 2.4 km. run in 16 minutes for female candidates. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for next stage of examination.

3. Manual timing shall not be permitted to be used by the team. Standardised Electronic Timing Equipment along with CCTV coverage and biometrics with adequate backup will be used to ensure accuracy, transparency and avoid impersonation.

4. The team shall follow the process laid down as under:-

(a) The number of candidates to be tested per day shall be determined by the Board and decided by it depending on the total numbers to be tested and prevailing conditions.

(b) The information of minimum physical standards for qualification as given in clause-2 of this appendix shall be displayed on the notice board at the venue of the test.

(c) The result of this test will be displayed on the notice board at the end of the day, at the venue of the Test and will be uploaded on the Board's website as soon as possible.

(d) The members of the organizational team including testing agency if any who willfully commit an act which is wrong or omit to perform an act and which causes an unfair advantage or disadvantage to any candidate may be liable to Criminal proceedings or Departmental proceedings.

(e) The list of successful and unsuccessful candidates shall be declared by the collective signatures of members of the team.

(f) The outdoor test shall be such that the results are capable of being measured and recorded mechanically without manual intervention. Only standardized equipments preferably having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures shall be used for Physical Efficiency Test.

(g) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(h) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the exam on some other date. The committee, after considering his application, may decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates

may give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(i) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically disabled, dependent of freedom fighter and reservation for ex-servicemen) Regulation-1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

Note:- Individual privacy will be respected in all video records and the record will be kept in safe custody and will be made available to a court of law when summoned by it, or to an enquiry officer with the permission of the Board.

APPENDIX- 3

[See rule 15 (e)]

Procedure for Written Examination for direct recruitment

(1) In the Written Examination a candidate shall write in his own handwriting. Scribe or assistant shall not be permitted for any reason whatsoever.

(2) If call letter is not received 07 days before the examination, then the board shall ensure arrangements for the candidates to contact the board on helpline/ landline/ mobile phone or download the call letter from the Board's website.

(3) Written Examination shall be conducted on the same day at the same time throughout the State.

(4) For the purpose of the written examination O.M.R. answer sheet shall be in 3 copies, the original copy will be used for scanning, first carbon copy shall be kept for Board's record and second carbon copy shall be for candidate. Candidates will be permitted to take the second carbon copy of O.M.R. answer sheet with them.

(5) After the written examination is over answer sheets will be dispatched to the Board, centre-wise in sealed covers through the safe custody provided by the District Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.

(6) Answers of the questions asked in the examination shall be uploaded on board's website.

(7) The question papers provided to the candidates shall be such that the sequence of the questions and also the answers to particular questions is randomised. Each question paper shall have a unique identification number or series and, where so instructed, the candidates will be expected to record this on the answer sheet as per the instructions issued by the Board. When instructed to do so, and where the candidates have failed to record the same, the answer sheets will not be evaluated and no marks will accrue to such candidates.

(8) All precautions shall be taken to ensure the correctness of all the questions and answers. However in case of question being wrong in one or more question papers, or in the opinion of the Board, option for answer is not unique or for any other reason which shall be recorded, Board may annul any question. In case of a question being annulled by the Board for any reason the allotted marks for the question shall be awarded to all those candidates who have attempted the question by marking any of the given answer choices.

(9) The Board shall specify detailed syllabus for the examination. However the syllabus will be indicative in nature and after the completion of the examination no appeal or objection will be entertained on the issue of any question being out of syllabus.

(10) The Board may divide the question paper in parts and can put two or more than two subjects or two or more than two question papers serially in one question paper.

(11) The Board may prescribe minimum passing percentage for any examination, which shall be clearly mentioned in the notification of the examination, and until the Board is satisfied otherwise, the Board will not further examine any candidate who are unsuccessful in previous stage.

(12) As a result of any signature, writing a name or improper sign by a candidate on the answer sheet, except as per the instructions given to the candidates, the candidature of the candidate can be cancelled by the Board.

(13) If a candidate is found copying in the exam or is found using unfair means, then the Board can cancel the candidature of such candidate and the decision of Board in this regard shall be final.

APPENDIX-4

[See rule 15(g)]

The Appointing authority will request the Chief Medical Officer of the concerned District to constitute Medical Board for conducting Medical Examination. The Medical Board will consist of three Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by Head of Department in consultation with Director General of Medical Health. This form will be available on U.P. Police website and also displayed at the place of Medical Examination. Medical Board may take services of any expert as per requirements.

(1) The doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.

(2) The result of the Medical Examination will be displayed on the notice board outside the premises at the end of the day.

(3) Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal in regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The appeal should be disposed of by the Medical Board, constituted for the same purpose within two weeks of the appeal being filed. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant.

(4) The members of the Medical Board who are found to give wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.

(5) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list:

Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically disabled, dependent of freedom fighter and reservation for ex-servicemen) Regulation-1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.

Note:- The Medical Board will examine the candidates and their deficiencies such as knock knee, bow legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness, hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo etc. as notified by the government from time to time. The Medical Board may get conducted other examinations after obtaining opinion of experts.

By order,
DEBASISH PANDA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 528 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(1209)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11 सा0 गृह पुलिस-2016-(1210)-1500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।